न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, जैतारण, जिला ब्यावर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील कुमार बिश्नोई, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक विविध (जमानत) प्रकरण संख्या (C.I.S. No.) : 110/2026

प्रार्थी/अभियुक्त :–

अशोक पुत्र थानाराम, निवासी खिनावडी, पुलिस थाना जैतारण, जिला ब्यावर, (राज.)

बनाम

अप्रार्थी/अभियोगी :–

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, जैतारण।

प्रथम नियमित जमानत आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 71/2023, पुलिस थाना जैतारण
अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता
प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक : 06.08.2026

उपस्थित :

01. श्री महावीरसिंह उदावत, विद्वान् अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
02. श्री जबरसिंह राजपुरोहित, विद्वान् अपर लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक : 14.08.2026**

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण के समक्ष प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दिनांक 10.08.2026 द्वारा खारिज होने पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय में पेश किया गया, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गयी। पत्रावली प्रकरण संख्या 71/2023 अनवान राज्य बनाम राकेश वगैरह तलब की गई। उभय पक्षों की बहस जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.02.2023 को मदनपुरी ने उपस्थित थाना, जैतारण होकर एक लिखितशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि परिवादी का गांव सांगावास में उसके घर पर दिनांक 11.02.2023 को रात्रि के 1 से 2 बजे के करीबन कोई अज्ञात चोर पिकअप लेके आए और उसके घर में घुसकर ताला तोड कर काफी सामान चोरी करके ले गए जिसमें निम्नलिखित सामान थे। 1. 50000 रोकड, 2. 1 सोने का फूल वजन 59 ग्राम, 3. 1 सोने का काने का झुला टोपीसद्ध 10 ग्राम 4. 14 चांदी के सिक्के लगभग 125 ग्राम 5. 3 घडा की जोडी लगभग 200 ग्राम 6. 1 कन्दोरा चांदी का लगभग 375 ग्राम 7.25 जोडी ड्रेस पीस 8 1 छोटी गैस टंकी 9 1 प्रेस थी। अतः रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि अभियुक्त के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करावे.....जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 71/2023, अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में दर्ज रजिस्टर कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त मनोहर, महिपाल, घनश्याम, महेन्द्र,

सीताराम, सूरजाराम व जीतु के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में आरोप प्रमाणित मानकर चार्जशीट विचारणीय न्यायालय में पेश की गई। शेष अभियुक्त राजूराम, राकेश, रूपाराम व अशोक के विरूद्ध अनुसंधान 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पैण्डिंग रखा। अभियुक्त अशोक को दिनांक 03.02.2024 को मफरूर घोषित किया जाकर स्थाई गिरफतारी वारंट जारी करवाया गया व दिनांक 06.08.2026 को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03. विद्वान् अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त नवयुवक व्यक्ति है, जिसके पिछले काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके स्वास्थ्य व चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रार्थी/अभियुक्त की तमाम चल व अचल सम्पत्ति उसके निवास स्थान पर स्थित है जहां से उसके भागने व फरार होने तथा गवाहान को टैम्परविद करने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतु तैयार व तत्पर है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

04. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि अनुसन्धान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता के अपराध प्रमाणित पाये गये हैं। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 03 अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध निम्न प्रकरण दर्ज होना अभियोजन की ओर से बताया गया है:–

क्र.	मुकदमा संख्या	धारा	पुलिस थाना	नतीजा
1.	554/2022	458, 323, 336, 354, 147, 149 भा.दं.सं.	जैतारण	विचाराधीन
2.	74/2023	457, 380 भा.दं.सं.	जैतारण	विचाराधीन
3.	220/2023	147,148,149,392,327,325,341,273,427 भा.दं.सं.	जैतारण	173(8) दण्ड प्रकिया संहिता में पेंडिंग

06. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में सह अभियुक्त मनोहर, महिपाल, घनश्याम, महेन्द्र, सीताराम, सूरजाराम व जीतु सभी जमानत पर है तथा अभियुक्त रूपाराम की जमानत भी पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.08.2026 से पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। हालांकि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिनमें से दो की प्रकृति इसी प्रकार के अपराधों

की है, परंतु हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस प्रकरण में पूर्व में मफरूरी में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत प्रस्तुत चालान में जारी स्थाई गिरफतारी वारण्ट की पालना में दिनांक 08.08.2024 को अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित कर दिया गया। पूर्व में इस अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत लंबित रखा गया था। इसके पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत प्रस्तुत करने की स्वीकृति दिनांक 07.04.2026 को पुलिस अधीक्षक, ब्यावर से प्राप्त किये जान का उल्लेख है, परंतु दोनों ही चालान (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन सकारात्मक) का अवलोकन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत अनुसंधान लंबित रखने एवं पुलिस अधीक्षक, ब्यावर से इसी प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति के मध्य किसी प्रकार का कोई अनुसंधान पत्रावली पर नहीं है।

फलतः उक्त विवेचन से प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

07. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त अशोक पुत्र थानाराम, निवासी खिनावडी, पुलिस थाना जैतारण, जिला ब्यावर, (राज.) की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपनी नियमित उपस्थिति बाबत 1,00,000/– रुपये (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र) की राशि का स्वयं का बंधपत्र एवं 50,000/–, 50,000/– रुपये (अक्षरे रुपये पचास–पचास हजार मात्र) की राशि की दो प्रतिभूति नियत पेशी पर एवं जब भी न्यायालय अपेक्षा करे उपस्थिति बाबत विचारण न्यायालय के समाधानानुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। विचारण न्यायालय की तलबीदा पत्रावली आदेश की प्रति सहित अविलंब लौटाई जावे।

(सुनील कुमार बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश, जैतारण

08. आदेश आज दिनांक 14.08.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार बिश्नोई)
अपर सेशन न्यायाधीश, जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.14 16:53:59 IST